सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 378 राँची, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

24 अप्रैल, 2019

कृपया पढ़ें:-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-9355 (अनु०), दिनांक 16.09.2014
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या-8063 दिनांक 07.09.2015

संख्या-1/न्या०वि०स०-1103/2011का०- 3295-- श्री आलोक गोयल, भा.प्र.से. (झाः1990), तत्कालीन निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-9355 (अनु०), दिनांक 16.09.2014 के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गयी -

(1) निगरानी जांच में यह पाया गया कि श्री आलोक गोयल द्वारा समानों के लिये किये गये क्रय में चेक के माध्यम से मेसर्स कैलाश स्टोर्स को 19,970/- (उन्नीस हजार नौ सौ सत्तर) रुपये का भुगतान किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त राशि का भुगतान कैलाश स्टोर्स को नहीं किया गया है।

(2) जांच में यह पाया गया कि उपस्करों के खरीद के लिये मेसर्स दिल्ली फर्नीचर को भुगतान किया गया लेकिन वे बताने में असमर्थ रहे कि उक्त उपस्करों को उनके द्वारा किसे उपलब्ध कराया गया। उसी प्रकार प्लास्टिक सेंटर, रांची से कुर्सियों की खरीद की गई। मेसर्स दिल्ली फर्नीचर को 41,543/-(एकतालीस हजार पांच सौतैंतालीस) रु० एवं प्लास्टिक सेंटर, रांची को 10,958/-(दस हजार नौ सौ अन्ठावन) रुपये का भुगतान किया गया परन्तु खरीद से संबंधित Vouchers विभाग में गुम पाये गये।

(3) जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि श्री गोयल द्वारा कार्यालय कार्य हेतु वायुयान द्वारा रांची से दिल्ली तक की गई यात्रा के लिए 11,930/-(ग्यारह हजार नौ सौ तीस) रुपया विभाग से प्राप्त किया गया। उक्त यात्रा के लिए वायुयान टिकट की खरीद मेसर्स सोनिया ट्रेडर्स, रांची से की गई और इसका भी भुगतान मेसर्स सोनिया ट्रेडर्स को समाज कल्याण विभाग के खाते से किया गया। इस प्रकार श्री गोयल द्वारा की गयी एक ही यात्रा के लिए दो बार भुगतान प्राप्त किया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8063 दिनांक 07.09.2015 के द्वारा श्री आलोक गोयल, भा.प्र.से. (झाः1990) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अमित खरे, भा.प्र.से., तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में सर्वप्रथम श्री आर०पी० सिंह, भा.प्र.से., तत्कालीन निदेशक, समाज कल्याण, द्वितीय श्री शिवजी चौपाल, भा.प्र.से., तत्कालीन विशेष सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड तथा तृतीय श्री चितरंजन कुमार, अपर सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को नियुक्त किया गया।

योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक- 41/डी०सी० दिनांक-29.05.2018 के माध्यम से श्री अमित खरे, भा०प्र०से०, विकास आयुक्त, झारखण्ड-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री आलोक गोयल, भा०प्र०से० तत्कालीन निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

संचालन पदाधिकारी का कहना है कि श्री गोयल कार्यवाही में प्रस्तुत नहीं हुए। उभय पक्षों से कोई नया तथ्य प्रतिवेदित नहीं हुआ जिससे कि निगरानी जाँच के निष्कर्ष की पुष्टि होती या खंडन होता। संचालन पदाधिकारी ने वित्तीय अनुशासन के अनुरक्षण के लिए तदेन निदेशक (श्री गोयल) को उत्तरदायी माना है। यात्रा विपत्र की दोहरी निकासी/भुगतान के मामले में संचालन पदाधिकारी ने अंकित किया है कि समाज कल्याण विभाग 'should establish the facts and take appropriate action'.

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री गोयल से मंतव्य की माँग की गयी। श्री आलोक गोयल, भा०प्र०से०, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नयी दिल्ली द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री गोयल द्वारा अंकित किया गया कि इनके द्वारा चेक हस्ताक्षर किया गया, भुगतान नहीं। भुगतान करना नाजिर की जिम्मेबारी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान सही व्यक्ति/संस्थान को प्राप्त हो, चेक के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया अपनायी गयी। भुगतान करने की जिम्मेवारी नाजिर की होती है न की निदेशक की। नाजिर के कर्तव्यहीनता का आरोप निदेशक पर नहीं मढ़ा जा सकता। इनका कहना

है कि जब भुगतान चेक के माध्यम से मेसर्स कैलाश स्टेशनर्स को किया गया और उन्होंने भुगतान प्राप्त नहीं किया तो भुगतान किसने प्राप्त किया। निदेशक वृहत स्तर (Macrolevel) कार्यो की व्यवस्था देखते है, जबकि छोटे-छोटे लिपिकीय कार्यों का निष्पादन करने के लिए विभिन्न कर्मचारीगण होते हैं। मेसर्स कैलाश स्टेशनर्स को चेक के द्वारा भुगतान किया गया जिसका मुख्य उद्धेश्य किसी गलत व्यक्ति/संस्थान को भुगतान न हो को सुनिश्चित करना ही प्रतीत होता है। ऐसे में यदि भुगतान मेसर्स कैलाश स्टेशनर्स को नहीं हुआ है तो इसके लिए तत्कालीन निदेशक को जिम्मेबार मानना सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि चेक हस्ताक्षरित होने के बाद भुगतान की जबावदेही नाजिर/रोकड़पाल की थी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कथित राशि का भुगतान किसने प्राप्त किया अथवा संबंधित चेक से राशि निकासी हुई या नहीं। यह लेखा जाँच का मामला है जिसे वित्त अंकेक्षण (योजना-सह-वित्त) विभाग को सौपा जाना चाहिए था।

श्री गोयल द्वारा दिनांक-22.05.2002 को लिखित एक पीत-पत्र की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है जो उन्होंने माननीय कैट न्यायालय में याचित आवेदन में भी संलग्न किया था। इसके अनुसार दिनांक-22.05.2002 को तत्कालीन नाजिर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि सभी उपस्कर/सामग्री कार्यालय में उपलब्ध थे। उनका कहना है कि जब सामग्री दिनांक- 22.05.2002 को उपलब्ध थे तो दिनांक- 09.02.2002 को गायब कैसे हो सकते हैं। ऐसे में श्री गोयल को तथाकथित अभिश्रवों के गायब होने के लिए जिम्मेबार मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। वर्ष 2002 से 16 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तथा उस समय के भंडार की स्थिति की पुष्टि भी अब कतिपय संभव नहीं हो पायगी। यह भी लेखा जाँच का विषय है जिसपर वित्त अंकेक्षण (योजना-सह-वित्त) विभाग कोई प्रतिवेदन तैयार कर सकता है।

एक ही यात्रा के लिए दो बार भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री गोयल द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा cash imprest से नकद पैसा लिया गया था जो उन्होंने यात्रा भत्ता विपत्र के निकासी उपरान्त नाजिर को लौटा दिया। इसके पक्ष में उनके द्वारा एक Acqitance Roll की छाया प्रति संलग्न की गयी है जो उनके द्वारा माननीय कैट न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत की गयी थी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि माननीय कैट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस Acqitance Roll की छाया प्रति को समाज कल्याण विभाग द्वारा नकारा भी नहीं गया है ऐसे में उक्त साक्ष्य को गलत मानने का कोई आधार नहीं है।

किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा यात्रा विपत्र की निकासी के लिए उनके स्वयं के हस्ताक्षर के अलावा नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा आवंटन अंकित कर हस्ताक्षर की कार्रवाई की जाती है तब जाकर यात्रा भत्ता विपत्र विकलित होता है। दोहरी निकासी की स्थिति में दो कोषागार भाउचर सं० प्राप्त होगा जबकि इस संबंध में समाज कल्याण विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हैं। दोहरी निकासी के पक्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई साक्ष्य (यथा आवंटन पंजी की प्रति, कोषागार प्रमाणक संख्या इत्यादि) उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यह अंकेक्षण जाँच का विषय प्रतीत होता है।

जहां तक cash imprest से नगद लेने की बात है इसे यात्रा भत्ता विपत्र की दोहरी निकासी नहीं कही जा सकती है। श्री गोयल द्वारा cash imprest से लिए गये नगद को लौटाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसे समाज कल्याण विभाग ने भी अस्वीकार नहीं किया है। अतः उक्त आरोप को प्रमाणित मानने का कोई आधार नहीं है।

यहाँ यह भी विचारणीय है कि यह मामला वर्ष 2002 का है जिसपर दो बार विभागीय कार्यवाही संचालित की जा चुकी है। प्रथम बार संचालित कार्रवाई को माननीय कैट न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया। पुनः नये सिरे से कार्रवाई संचालित की गयी जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई भी तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। इस दौरान श्री गोयल द्वारा बार-बार यह कहा गया कि उन्हें माँगे गये कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसका व्योरा उन्होंने अपने पत्रों में दिया है।

इस मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा पारित O.A. No-33/2011 में माननीय न्यायाधिकरण के आदेश में यह संदर्भित हुआ है कि यह मामला किसी छद्मनामी व्यक्ति के द्वारा भेजे गये परिवाद पत्र पर की गयी कार्रवाई के कारण संचालित हुआ। इसके पूर्व तत्कालीन उपाध्यक्ष, निगरानी ब्यूरो के द्वारा भी यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवाद पत्र को छद्मनामी के द्वारा निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए भेजा गया है, अतः मामले को संचिकास्त करने की अनुशंसा उनके द्वारा की गयी थी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विवेचनाओं के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उस पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के सम्यक् समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री गोयल के विरूद्ध गठित Article of Charges एवं विभागीय जाँच को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि चूँकि यह मामला मूलतः लेखा/अंकेक्षण जाँच का प्रतीत होता है जैसा कि संचालन पदाधिकारी के अभिमत से भी समझ में आता है, अतः इस मामले में अलग से वित्त अंकेक्षण की कार्रवाई हेतु योजना-सह-वित्त विभाग को अनुरोध किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 378 -- 50